विविध बैंक प्रकरण संख्या 80/2019 (RCMS 2019/00135) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री राकेश व्यास, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, मुख्य शाखा, ई–ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स श्री भगवती उद्योग–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा निवासी प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्टियल एरिया, रिका, श्रीगंगानगर एवं माकन नं. 44 मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर 2. मैसर्स इन्द्र प्राईम फूडस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स श्री जी.आर.जी. होम डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) – प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा एवं श्री श्याम सुन्दर शर्मा निवासी मकान नं. 44 मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर 3. श्रीमती माली देवी पत्नि श्री शिव नारायण निवासी मकान नं. 44 मॉडल टाउन 1st, श्रीगंगानगर

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है एवं प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फार्म नं. 03 के साथ दस्तावेज पेश किये, शामिल मिसल किये गए। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स श्री भगवती उद्योग–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा, मैसर्स इन्द्र प्राईम फूडस प्राइवेट लि.–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा और श्रीमती माली देवी को ऋण सुविधा के रूप में 3.75 करोड़ रूपये (अखरे रूपये तीन करोड पिच्चहत्तरत लाख मात्र) का ऋण दिनांक 23.10.2017 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मै. इन्द्र प्राईम फूड्स प्राइवेट लि.– प्रो. ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा की सम्पत्ति व्यावसायिक फेक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरियो, रिको, श्रीगंगानगर (6807.59 वर्गमीटर) एवं श्रीमती माली देवी की सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 93, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 39, चक 6 ई छोटी, सिंधी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40'गुणा 50') एवं प्लॉट नं. 75, किल्ला नं. 8,13 मुरब्बा

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 39, चक 6ई छोटी सिंधी कॉलोनी, (योजना नं. –1), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'9'' गुणा 51'3'') में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 02.04.2019 को 3,93,68,981/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 02.04.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया, जो पोस्ट ऑफिस के ट्रेक कंसाईन्मैंट के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मै. इन्द्र प्राईम फूड्स प्राइवेट लि.– प्रो. ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति व्यावसायिक फेक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरियो, रिको, श्रीगंगानगर (6807. 59 वर्गमीटर) एवं श्रीमती माली देवी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 93, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 39, चक 6 ई छोटी, सिंधी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40'गुणा 50') एवं प्लॉट नं. 75 किल्ला नं. 8,13 मुरब्बा नं. 39, चक 6ई छोटी सिंधी कॉलोनी, (योजन नं. –1), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'9'' गुणा 51'3'') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स श्री भगवती उद्योग–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा, मैसर्स इन्द्र प्राईम फूडस प्राइवेट लि.–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा और श्रीमती माली देवी को 3.75/–करोड़ रूपये (अखरे रूपये तीन करोड़ पिच्चहत्तर लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 23.10.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मै. इन्द्र प्राईम फूड्स प्राइवेट लि.– प्रो. ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा अचल सम्पत्ति व्यावसायिक फेक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरियो, रिको, श्रीगंगानगर (6807.59 वर्गमीटर) एवं श्रीमती माली देवी द्वारा अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 93, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 39, चक 6 ई छोटी, सिंधी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40'गुणा 50') एवं प्लॉट नं. 75, किल्ला नं. 8,13 मुरब्बा नं. 39, चक 6ई छोटी सिंधी कॉलोनी, (योजन नं. –1), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'9" गुणा 51'3") प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 02.04.2019 को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए है एवं नोटिस के प्राप्ति के परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कंसाईन्मैंट की प्रति पेश की है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) के नोटिस उन पर तामील हो चुके है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणियों ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति व्यावसायिक फेक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरियो, रिको, श्रीगंगानगर (6807.59 वर्गमीटर) जो अप्रार्थी ऋणी मै. इन्द्र प्राईम फूड्स प्राइवेट लि.– प्रो. ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा के नाम से है एवं सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 93, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 39, चक 6 ई छोटी, सिंधी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40'गुणा 50') एवं प्लॉट नं. 75, किल्ला नं. 8,13 मुरब्बा नं. 39, चक 6ई छोटी सिंधी कॉलोनी, (योजन नं. –1), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'9'' गुणा 51'3'') जो श्रीमती माली देवी के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.04.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 02.04.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी मैसर्स श्री भगवती उद्योग–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा, मैसर्स इन्द्र प्राईम फूडस प्राइवेट लि.–प्रो. श्रीमती ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा और श्रीमती माली देवी के नाम रजिस्टर्ड

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

डाक से जारी किये गये है जिसकी नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं नोटिस प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैंट की के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप उक्त रसीद की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बैंक के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की बैंक के रजिस्टर की प्रति भी पेश की है, जो भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मै. इन्द्र प्राईम फूड्स प्राइवेट लि.– प्रो. ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा की सम्पत्ति व्यावसायिक फेक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरियो, रिको, श्रीगंगानगर (6807.59 वर्गमीटर) एवं श्रीमती माली देवी की सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 93, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 39, चक 6 ई छोटी, सिंधी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40'गुणा 50') एवं प्लॉट नं. 75, किल्ला नं. 8,13 मुरब्बा नं. 39, चक 6ई छोटी सिंधी कॉलोनी, (योजन नं. –1), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'9'' गुणा 51'3'') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, ई–ब्लॉक श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल** सम्पत्ति व्यावसायिक फेक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा, स्टॉक, प्लांट एवं मशीनरी स्थित प्लॉट नं. बी–328, एग्रो फूड पार्क, इंडस्ट्रियल एरियो, रिको, श्रीगंगानगर (6807.59 वर्गमीटर) प्रो– मै. इन्द्र प्राईम फूड्स प्राइवेट लि.– प्रो. ललिता शर्मा एवं श्याम सुन्दर शर्मा एवं रिहायशी प्लॉट नं. 93, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 39, चक 6 ई छोटी, सिंधी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 40'गुणा 50') एवं प्लॉट

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 75, किल्ला नं. 8,13 मुरब्बा नं. 39, चक 6ई छोटी सिंधी कॉलोनी, (योजना नं. —1), श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'9'' गुणा 51'3'') —प्रो. श्रीमती माली देवी के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर